

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां

प्रकरण संख्या 39/17

दायरा दिनांक 27/09/2017

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

नवलसिंह पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– वादी

–: बनाम :-

1. रामजीलाल पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. श्रीकिशन पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. हरिचरण पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. ताराचन्द पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. करणसिंह पुत्र गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6. रामप्यारी पत्नि मुरारीलाल पुत्री गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
7. सुबेदा वेवा गंगाराम जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
8. स्टेट आफ राजस्थान जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 14/12/2023

संशोधित

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक

प्रतिवादी 1,2,4,5,6,7 की ओर से- श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक

प्रतिवादी 3 की ओर से- श्री कुमेरसिंह यादव अभिभाषक

उक्त उनवानी प्रकरण में प्राथमिक डिक्री 15.07.2022 की पालना में तहसीलदार शाहाबाद से वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के सहखाते में ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी में आराजी खसरा नंबर 344 रकवा 4.05 बीघा, खसरा नंबर 385 रकवा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 954 रकवा 2.12 बीघा, खसरा नंबर 1406 रकवा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1600 रकवा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 1601 रकवा 3.10 बीघा कित्ता 6 कुल 12.18 बीघा स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 प्रत्येक का हिस्सा 1/8-1/8 विभाजन स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जो न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान वकीलों को विभाजन प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-


  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद जिला बारां (राज.)



क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा.	किस्म	लगान
1	रामजीलाल पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 6	0.10	माल-1	0.60
		385 / 6	0.05	माल-1	0.30
		1601 / 6	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 6	0.07	चाही-1	0.35
		किता 4	1.12	-	2.65
2	श्रीकिशन पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 2	0.11	माल-1	0.63
		385 / 2	0.05	माल-1	0.30
		1601 / 2	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 2	0.06	चाही-1	0.30
		किता-4	1.12	-	2.63
3	नवल पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 4	0.11	माल-1	0.63
		385 / 4	0.04	माल-1	0.27
		1601 / 4	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 4	0.07	चाही-1	0.33
		किता-4	1.12	-	2.63
4	हरिचरण पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 5	0.11	माल-1	0.63
		385 / 5	0.04	माल-1	0.27
		1601 / 5	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 5	0.07	चाही-1	0.33
		किता-4	1.12	-	2.63
5	ताराचंद पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 3	0.11	माल-1	0.63
		385 / 3	0.05	माल-1	0.30
		1601 / 3	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 3	0.07	चाही-1	0.33
		किता-4	1.13	-	2.66
6	करण सिंह पुत्र गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 1	0.11	माल-1	0.63
		385 / 1	0.05	माल-1	0.30
		1601 / 1	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 1	0.06	चाही-1	0.30
		किता-4	1.12	-	2.63
7	रामधारी पुत्री गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344 / 7	0.11	माल-1	0.63
		385 / 7	0.05	माल-1	0.30
		1601 / 7	0.10	चाही-1	1.40
		954 / 7	0.06	चाही-1	0.30
		किता-4	1.12	-	2.63
8	सर्वदी बैवा गंगाराम जाति किराड़ सा.देह	344	0.10	माल-1	0.24
		1600	0.11	माल-1	0.49
		1406	0.02	चाही-1	0.56
		954	0.06	बरानी-1	0.08
		385	0.05	चाही-1	0.33
		किता-4	1.14	-	1.70

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रासबाद जिला बाराँ (चउ)

उक्तानुसार ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी में आराजी खसरा नंबर 344 रकबा 4.05 बीघा, खसरा नंबर 385 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 954 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नंबर 1406 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1600 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 1601 रकबा 3.10 बीघा कित्ता 6 कुल 12.18 बीघा का वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 प्रत्येक का हिस्सा  $1/8-1/8$  विभाजन किया जाता है तहसीलदार शाहाबाद को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तदनुसार अंतिम डिक्री पर्या जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक:14.12.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
उपस्थित अधिकारी  
राजहाबाद जिला बाराँ (चण)